# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

**पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)**
**प्रकरण संख्या :– 26/2023**
**उनवान मुकदमा**

1. श्री लालचन्द पिता श्री केशुराम जाति कलाल उम्र 56 वर्ष निवासी भूंगडा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा। –प्रार्थी

**बनाम**

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील बांसवाडा जिला बांसवाड़ा (राज.) –अप्रार्थीगण

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

## निर्णय

दिनांक :–13/10/2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी के कृषि भूमि खाता संख्या 85 नया 73 पुराना खसरा नम्बर 254/3 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, किस्म का.च. लगानी रुपया 0.41, वाके राजस्व ग्राम जानावारी पटवार हल्का लोधा, तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है को बजरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र क्रम सं. 497 दिनांक 12.04.1999 के द्वारा श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. श्री रामनारायण जी भावसार निवासी बांसवाड़ा जिला से क्रय की है। तभी से प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर वहैसियत खातेदार काविज होकर काश्त कर राज्य सरकार में लगान अदा करता चला आ रहा है।

प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय करने के पश्चात् उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 18.07.2005 को खोला गया है। प्रार्थी वर्तमान जमाबन्दी निकालने पर गलत नाम का अंकन होने की जानकारी होने पर पुराना नामान्तरकरण का रेकार्ड देखने पर उक्त गलती का इल्म होने से उत्पन्न हुआ। जिस कारण प्रार्थी ने उपरोक्त वाद रेकार्ड शुद्धि हेतु आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तरकरण राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा सहवन से प्रार्थी श्री लालचन्द के स्थान पर लाभचन्द के नाम नामान्तरकरण खोला गया है। प्रार्थी का नाम कभी भी लाभचन्द नहीं रहा है। प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं दस्तावेज विक्रय पत्र क्रम सं. 497 दिनांक 12.04.1999 में लालचन्द अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 504 दिनांक 18.07.2005 खोला गया है, जिसमे मुझ प्रार्थी का नाम लाभचन्द पिता केशुराम दर्ज कर दिया है, उसकी जगह लालचन्द पिता केशुराम किया जावें। इस बाबत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती हेतु धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब करने पर अप्रार्थी ने दिनांक 27.08.2024 को जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया। प्रार्थी ने

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

Sonu
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077, अपने नाम से जारी आधार कार्ड, नकल टी.सी. नकल पासपोर्ट, नकल विक्रय पत्र, नामान्तरकरण संख्या 504 प्रस्तुत किये है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन से पाया कि मूल विक्रय पत्र जिसमें प्रार्थी का नाम सहवन से लालचन्द के स्थान पर लाभचन्द दर्ज होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम जानावारी पटवार हल्का लोधा, तहसील व जिला बांसवाड़ा में प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 85 नया 73 पुराना खसरा नम्बर 254/3 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, भूमि में लाभचन्द पिता केशुराम अंकित किया गया है। एक ही व्यक्ति के दो अलग–अलग नाम दर्ज करना उचित नहीं है। वर्तमान में अन्य दस्तावेजों में नाम लालचन्द पिता केशुराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है। ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाध व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थी के हाल राजस्व रिकार्ड में नाम संबधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(सुश्री सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

**–::आदेश::–**

**प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकार्ड अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम जानावारी पटवार हल्का लोधा, तहसील व जिला बांसवाड़ा में प्रार्थी की कृषि भूमि खाता संख्या 85 नया 73 पुराना खसरा नम्बर 254/3 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, भूमि में प्रार्थी का नाम संबंधी इन्द्राज लाभचन्द पिता केशुराम के स्थान पर लालचन्द पिता केशुराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार बांसवाडा को निर्णय की छायाप्रति पृथक से पालना हेतु भेजी जावें।**

**आदेश आज दिनांक 13/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।**

**(सुश्री सोनू कुमारी)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**बांसवाडा**

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner